(d) whether social tensions are increasing in the urban areas as a consequence of unemployment?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) Unemployment was estimated to be around 13.4 million in April, 91, 17.0 million in April, 92 and 17.8 million in April, 1993.

(b) The report titled India: Employment, Poverty and Economic Policy prepared under a project sponsored by the UNDP under technical support services has pointed out that "both the level of under employment and the incidence of poverty have very probably increased since 1991 although this cannot be empirically confirmed".

(c) The number of workers laid off in the organised sector were about 71.1 thousand in 1991, 107.6 thousand in 1992 and 56.1 thousand in 1993 (January-November).

(d) No such information is available.

क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति

7416. प्रो0 विजय कुमार मलहोत्रा :
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 1987 में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से गठित की गई समितियों की कुल संख्या कितनी थी और ऐसी प्रत्येक समिति में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी-कितनी थी और प्रत्येक प्रतिनिधि द्वारा किन-किन वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व किया गया ;

(ग) क्या उक्त समितियों ने सरकार को समय-समय पर अपनी सलाह दी है, और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 को अन्त तक उक्त समितियों द्वारा सरकार को दिये गय परामर्श का तिथिवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनपर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पगन सिंह घटोवार) : (क) से (घ) भारतीय श्रम सम्मेलन ने 25 और 26 नवम्बर, 1985 को आयोजित अपने 28वें अधिवशन में इस बात की सिफारिश की कि क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी की दरें होना वाछनीय है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार मार्ग-निर्देश निर्धारित कर सकती है । निर्धारित किये गये मार्ग निर्देशों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से उनके सम्बन्ध में प्राप्त की गई टिप्पणियों पर 29–30 अप्रैल, 1982 को आयोजित श्रम सचिवों की बैठक एवं 20 मई, 1987 को आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया । श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्ष के आधार पर देश को छह क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया और छह क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियां गठित की गई । क्षत्रों के विवरण साथ में बैठकों को आयोजित किए जाने की तिथियां संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) ।

समिति में श्रम मंत्रालय के एक प्रतिनिधि और क्षेत्र के अन्तर्गत आने वालों राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का एक-एक प्रतिनिधि शामिल है । समितियों की अध्यक्षता श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है ।

समितियों ने अपनी बैठकों में कई सिफारिशें की हैं जो न्यूनतम मजदूरी में समय से संशोधन करने और न्यूनतम मजदर अधिनियम, 1948 के प्रभावी प्रवर्तन से सम्बन्धित हैं । इन सिफारिशों को समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया गया है ।

विवरण

क्षेत्र का नाम	स्थान	बैठक की तिथि
दक्षिणी क्षेत्र		
(आंन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु पांडिचेरी और लक्षद्वीप)	मद्रास	6–10–87
पूर्वी क्षेत्र		
(पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	कलकत्ता	31–10–87
उत्तरी क्षेत्र		
(पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, और चंडीगढ़ प्रशासन)	दिल्ली	12–12–87
पश्चिमी क्षेत्र		
(महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली)	बम्बई	17–12–87
उत्तर पूर्व क्षेत्र		
असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम	गुवाहाटी	9–10–92
केंद्रीय क्षेत्र		
(उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश)	—	*

** केन्द्रीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्री की अस्वस्थता के कारण तथा तदोपरांत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिये जाने के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकती । चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र तथा अन्य क्षत्रों में भी समिति की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

Complaints against PSUs for violation of contract labour (Abolition and Regulation) Act.

7417. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the names of PSUs against whom complaints have been pending with Government on account of illegal termination of services of employees and violation of the provisions of Contract Labour (Abolition and Regulation) Act;

(b) whether Government have taken up those cases with the concerned PSUs to get them rectified; and

(c) if so, the facts and reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.